हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शीशमबाडा देहरादून,
पिन– 248011 उत्तराखण्ड, भारत
वेवसाईट:www.hnbumu.ac.in

उत्तराखण्ड नीट यू0जी0, 2026 राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की द्वितीय चरण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश एवं नियम व शर्तें

1. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्हता

उत्तराखण्ड नीट यू0जी0 2026 राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग की द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में इच्छुक अर्ह निम्न अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैः–

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण न कराया हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हों।
2. प्रथम चरण में पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुयी हो।
3. ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत FLOAT का विकल्प चयनित किया हो और द्वितीय चरण में सीट अपग्रेडेशन हेतु प्रतिभाग कराना चाहते हो।
4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत **FLOAT/ FREEZE** का चयन न किया हो और द्वितीय चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।

2. द्वितीय चरण में प्रतिभाग करने हेतु निम्न छात्र अर्ह नही होगेः–

जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से **FREEZE** विकल्प का चयन कर संस्थान में निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपना प्रवेश सुरक्षित करा लिया गया है।

3. आवेदन प्रक्रिया (केवल ऑन–लाईन आधार पर)

1. द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि **केवल आन–लाईन प्रणाली** (Credit/Debit Card/Net banking) के माध्यम से ही जमा की जायेगी।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई है, यदि वो द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हैं तो उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन च्वाईस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि जमा नही करनी होगी।
3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में मात्र पंजीकरण शुल्क जमा किया गया परन्तु धरोहर राशि जमा नही की गई थी, वे धरोहर राशि को जमा करवाते हुये पुनः पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन च्वाईस फिलिंग करनी अनिवार्य होगी, ऐसे अभ्यर्थियों को दोबारा पंजीकरण शुल्क राशि जमा नही करनी होगी।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा नही किये गये है, वे निर्देशानुसार पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो ही जमा कर, पंजीकरण करवाकर आन–लाईन आवेदन फार्म भर कर नवीन च्वाईस फिलिंग करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

5. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क तथा धरोहर राशि दोनो जमा की गई हो तथा वे यदि पूर्व में चयनित किये गये कोटे (स्टेट कोटा/ऑल इण्डिया–ओपन कोटा) के विकल्प में परिवर्तन करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कराना चाहते हो, तो इस हेतु उन्हे विश्वविद्यालय की वैबसाईट www.hnbumu.ac.in पर जाकर पंजीकृत आई–डी के माध्यम से आन–लाईन आवेदन कर नवीन कोटे के विकल्प का आन–लाईन आवेदन फार्म भरते हुये चयन करना होगा। तद्पश्चात वे आन–लाईन आवेदन फार्म भरकर वांछित सूचना भर कर नवीन च्वाईस फिलींग करते हुये द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है। ऐसी दशा में यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि अधिक है तो उन्हे कोई अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा नही करनी होगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा की गयी धरोहर राशि कम (न्यून) है तो उन्हे उस चयनित कोटे हेतु निर्धारित सम्पूर्ण धरोहर धनराशि को दोबारा जमा करना होगा। इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त (पूर्व में जमा) जमा की गयी धरोहर राशि समस्त चरणो की काउन्सिलिंग प्रक्रिया के समाप्त होने के एक माह पश्चात अभ्यर्थी द्वारा शुल्क वापसी हेतु आन–लाईन आवेदन फार्म मे भरे गये विकल्प के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा ऑन–लाईन आधार पर वापस की जायेगी।
6. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्धारित समयावधि में **पंजीकरण/पुनः पंजीकरण करने के उपरान्त आन–लाईन आवेदन फार्म को भरते हुये समस्त वाछित सूचना, नवीन च्वाईस फिंलीग एवं च्वाईस लॉक (Choice Submit) करना अनिवार्य होगा।** अन्यथा की दशा में वे द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन हेतु अर्ह नही माने जायेगें।
7. पूर्व में प्रथम चरण में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। अतः द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे द्वितीय चरण हेतु निर्धारित समयावधि में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया को अनिवार्य रुप से पूर्ण कर लेवें।
8. अभ्यर्थी द्वारा सम्पूर्ण रुप से आवेदन फॉर्म भरने के उपरान्त उसका प्रिन्ट आउट निकाल कर अपने पास अनिवार्य रुप से सुरक्षित रखना होगा। भविष्य मे आवेदन के सन्दर्भ में किसी भी पृच्छा/जानकारी अथवा प्रकरण का निस्तारण इस आवेदन फॉर्म के प्रिन्ट आउट के आधार पर ही काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।
9. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में सीट आवंटित हुई हो तथा कॉलेज स्तर पर अभिलेखों के सत्यापन के दौरान उनके अभिलेखों में किसी प्रकार की भिन्नता पाई गई हो और वे अपनी अभिलेखों में संशोधन करना चाहते हैं, वे द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में निर्धारित समयावधि के भीतर अपनी अभिलेखो में संशोधन कर सकते हैं।
10. अभ्यर्थी काउन्सिलिंग की प्रक्रिया की समय सारणी के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में अनुमन्य परिवर्तन कर सकता है, तद्पश्चात अभ्यर्थी को च्वाईस को Submit किया जाना होगा। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन किसी भी स्तर पर नहीं किया जायेगा।
11. यदि ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी द्वारा च्वाईस फिंलिग करने के उपरान्त Submit नही किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी च्वाईस को ऑन–लाईन प्रणाली द्वारा निर्धारित समयावधि उपरान्त स्वतः ही Submit कर दिया जायेगा तथा यह माना/समझा जायेगा कि अभ्यर्थी द्वारा सीट आवंटन हेतु यही च्वाईस भरी गयी है।
12. अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन फॉर्म भरते समय चयनित कोटे (राज्य कोटा/ऑल इण्डिया–ओपन कोटा) के आधार पर चयन हेतु उपलब्ध समस्त सीटो में से अपनी च्वाईस के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में जितनी भी चाहे सीटो का विकल्प चयन कर सकते हैं।
13. अभ्यर्थियों हेतु काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है। **अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें तथा संतुष्ट हो लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।**

14. द्वितीय चरण में काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन उपरोक्तानुसार निर्धारित नियम/प्रक्रियानुसार पंजीकृत हुये अभ्यर्थियों को उनकी मैरिट, अर्हता एवं भरी गयी च्वाईस (विकल्प) के आधार पर किया जायेगा।
15. सभी अभ्यर्थियों, चाहे वे FREEZE हों या FLOAT, को लॉग–इन करके अपने दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड–1 में अपने दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए हैं, उन्हें दोबारा दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। (दस्तावेज केवल एक बार अपलोड करने होंगे।)
16. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में अपनी सीट **FREEZE** कर सीट सुरक्षित कर ली है और द्वितीय चरण काउन्सिलिंग के दौरान अपनी प्रवेशित सीट छोडता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग नही कर पायेगे, किन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
17. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में अपनी सीट **FLOAT** कर द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन चाहता है तो नवीन च्वाईस भर कर अपग्रेडेशन कर सकता है। किन्तु द्वितीय चरण काउन्सिलिंग के दौरान अपनी **FLOAT** सीट छोडता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग नही कर पायेगे, किन्तु तृतीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
18. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में **FREEZE** का विकल्प का चयन है और निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही करते है तो उनकी सीट निरस्त हो जायेगी किन्तु वे अभ्यर्थी द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में प्रतिभाग कर सकते है।

4. संस्थानवार सीट मैट्रिक्स

दिनांक 07–09–2026 की स्थिति के अनुसार संस्थानवार सीटों का कोटेवार (राज्य कोटा तथा ऑल–इण्डिया–ओपन कोटा) सीट मैट्रिक्स विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है। सीट मैट्रिक्स को प्रवेशित छात्र–छात्राओ द्वारा सीट छोडे जाने के फलस्वरुप समय–समय पर अपडेट किया जाता रहेगा।

5. शुल्क विवरण

काउन्सिलिंग में सम्मिलित प्रत्येक संस्थान का संबंधित कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराया गया विस्तृत शुल्क विवरण विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर अपलोड किया गया है।

6. सीट अपग्रेडशन

1. प्रथम चरण में FLOAT विकल्प वाले अभ्यर्थी (जिसके द्वारा बोर्ड द्वारा आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत FLOAT ले लिया गया है) को द्वितीय चरण में नियमानुसार सीट अपग्रेडेशन का अधिकार होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन न होने की दशा में पूर्व में FLOAT सीट/संस्थान पर प्रवेश सुरक्षित रहेगा। ऐसी दशा में अभ्यर्थी को तृतीय चरण में सीट अपग्रेडशन का अधिकार ˙ होगा।
3. द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग में सीट अपग्रेडेशन होने की दशा में अभ्यर्थी का पूर्व प्रवेशित सीट पर कोई अधिकार नही रहेगा, प्रत्येक दशा में यह सीट रिक्त करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चरण में फ्लोट छोडी गयी (अपग्रेडेशन के कारण) इस रिक्त हुयी सीट को वरीयता सूची के क्रम में अगले अर्ह इच्छुक अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा नियमानुसार आवंटित कर दिया जायेगा। **अतः अभ्यर्थियो को यह सलाह दी जाती है कि वे अपग्रेडेशन का विकल्प भरते समय यह अवश्य ध्यान रखे कि वे उन्ही पाठ्यक्रम/सीट/संस्थान का ही विकल्प चयन करें जिसमें वे अपग्रेडेशन चाहते हो और प्रवेश लेने के इच्छुक है।**

4. प्रथम चरण काउन्सिलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा FLOAT का विकल्प चयन किया एवं द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी च्वाईस नही भरता है तो प्रथम चरण में फ्लोट की गयी सीट/संस्थान यथावत रहेगा।
5. जिन अभ्यर्थियों को राउंड–2 में सीट आवंटित हुई है और वे आगे अपग्रेडेशन नहीं चाहते हैं, उन्हें आवंटित मेडिकल/डेंटल कॉलेज में मूल दस्तावेजों के साथ भौतिक रूप से रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी FREEZE उम्मीदवार माने जाएंगे।

7. प्रवेशित सीट को छोडने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) संबंधी नियम

1. उत्तराखण्ड नीट यू0जी0 2026 राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग के प्रथम चरण के माध्यम से अपनी सीट को FREEZE कर संस्थान में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली है वे अपनी प्रवेशित सीट छोडना चाहते है ऐस अभ्यर्थी **विलम्बतम दिनांक 09.09.2026 सायं 05:00 बजे तक (केवल निर्धारित प्रक्रियानुसार ही)** सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) की अनुमति होगी। **सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।**
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण काउन्सिलिंग में FLOAT का विकल्प चयन किया गया है और वे अपनी FLOAT सीट को छोडना चाहता है तो वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सीट छोड सकते है। **सीट छोड़ने (Seat Surrender/Withdrawn/Vacate) हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी सूचना विश्वविद्यालय की वैबसाईट के पृथक लिंक पर उपलब्ध है।**
3. उक्त तिथि व समय के उपरान्त किसी भी प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट छोड़ने की अनुमति **नहीं** होगी। अतः अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि यदि वे अपनी प्रथम चरण में प्रवेशित सीट को छोड़ना चाहते हैं तो उसे निर्धारित तिथि विलम्बतम दिनांक 09.09.2026 सायं 05:00 बजे तक छोड़ देवें।
4. **दिनांक 9.09.2026 सायं 05:00 बजे के उपरान्त प्रथम चरण की काउन्सिलिंग में FREEZE/ FLOAT छात्र–छात्राओं को किसी भी दशा में सीट छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।**
5. द्वितीय चरण में बोर्ड द्वारा आवटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी FREEZE/ FLOAT का विकल्प नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर धनराशि को भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा। ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों में प्रतिभाग कर सकते हैं।
6. द्वितीय चरण में आवंटित सीट पर यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश ले लेता है तो उसे FREEZE सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित की गयी समयावधि तक छोडने की अनुमति होगी। ऐसी दशा में भारत सरकार/एन0एम0सी/एम0सी0आई0 द्वारा निर्धारित मानकानुसार हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, द्वारा नियमानुसार जब्त (forfiet) कर लिया जायेगा ऐसे छात्र नियमानुसार नवीन पंजीकरण तथा धरोहर धनराशि जमा कर आगामी काउन्सिलिंग चरणों में प्रतिभाग कर सकते हैं।
7. अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे सीटों का विकल्प चयन करने से पूर्व संबंधित कॉलेज के शुल्क, बॉण्ड संबंधी नियम, सीटों की मान्यता की स्थिति आदि के बारे में संबंधित संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। छात्र द्वारा चयन किये संस्थान/सीट/पाठ्यक्रम के विकल्प हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा, विश्वविद्यालय/ काउन्सिलिंग बोर्ड का कोई भी उत्तरदायित्व नही होगा।

8. आरक्षण

1. द्वितीय चरण काउन्सिलिंग मे पंजीकृत हुये अर्ह अभ्यर्थियों को राज्यकोटे की उपलब्ध सीटों में विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण (उर्ध्व एवं क्षैतिज) उत्तराखण्ड राज्य की काउंसिलिंग की तिथि को प्रचलित/स्थापित नीति एवं निर्णयों के अनुसार अनुमन्य होगा।

2. किसी भी प्रकार के श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ केवल उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थाई निवासी को ही अनुमन्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को संबंधित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत, काउॅन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि को मान्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में उसे सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का केवल अभ्यर्थी के पक्ष/नाम पर निर्गत प्रमाण ही मान्य होगा।
3. ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र काउंन्सिलिंग एवं संस्थान में प्रवेश की तिथि तक मान्य/वैध (valid) होना चाहिए। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16–02 (ओ0बी0सी0)/ 2012 दिनांक 21.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 जाति का प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से केवल तीन वर्ष तक ही वैध (valid) होता है। अतः ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वें अपने जाति प्रमाण पत्र की मान्यता/वैधता (validity) को भली–भाति जांच लें। अमान्य (invalid) ओ0बी0सी0 जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
4. शासनादेश संख्या 570/कार्मिक–2/2004 दिनांक 22 मई, 2004 के क्रम में उपश्रेणी (**DPW**) **हेतु** आरक्षित सीटों का लाभ उत्तराखण्ड के निवासी केवल भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के पुत्र एवं पुत्रियों को ही अनुमन्य होगा। वर्तमान में सेना (थल, वायु एवं जल सेना) में कार्यरत सैनिको के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा पैरामिलिट्री Paramilitary Forces के आश्रितो को उक्त उप श्रेणी के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
5. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 123/XXX(2)/2020-30(1)/2020 दिनांक 29 अप्रैल, 2020 तथा विधायी एवं ससंदीय कार्यविभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 64/XXXVI(3)/2020/20(1)/2020 दिनांक 07 मार्च 2020 पर निर्धारित नियम/शर्तो/प्रतिबन्धो के आधार पर ही दिया जायेगा। इस हेतु अभ्यर्थी के पक्ष में उत्तराखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत नवीनतम प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित मेडिकल बोर्ड से निर्धारित प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को किसी भी स्पष्टीकरण के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा अयोग नामित मेडिकल बोर्ड से प्राप्त कर सकते है।
7. किसी आरक्षित श्रेणी एवं उप श्रेणी का अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सीट रिक्त रहने/होने पर ऐसी सीटों को तृतीय चरण की काउंसिलिंग में नियमानुसार परिवर्तित (convert) कर भरा जायेगा।

8. प्रवेश प्रक्रिया

1. द्वितीय चरण में बोर्ड द्वारा आवंटित सीटों पर निर्धारित समायन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने संबंधी विस्तृत जानकारी द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के सीट आवंटन सूची निर्गत होने के उपरांत विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर छात्रों हेतु पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. **आवटित सीट पर प्रवेश सुरक्षित करने हेतु संबंधित छात्र को FREEZE/ FLOAT का विकल्प चयन के उपरान्त FREEZE अभ्यर्थियों को संस्थान में व्यक्तिगत रुप में उपस्थित होकर अपने समस्त वांछित अभिलेख (मूल में) प्रस्तुत करने अनिवार्य होगें, अन्यथा की दशा में वे प्रवेश हेतु अर्ह नही होगें। एक बार प्रवेश लेने के उपरान्त अभ्यर्थियों को प्रवेशित सीट को बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि तक छोडने की अनुमति होगी।**

9. विविध

1. आगामी चरणों की काउन्सिलिंग यदि कोई हो की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर पृथक से अपलोड की जायेगी।
2. विस्तृत जानकारी हेतु नीट यू0जी0 2026 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग हेतु प्रकाशित **Information Bulletin** का पुनः अध्ययन कर लेवें।

3. काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिर्वतन का अधिकार काउन्सिलिंग बोर्ड के पास सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार / एन0टी0ए0 / एम0सी0सी0 / एन0एम0सी0 / डी0सी0आई0 / मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस काउन्सिलिंग समय–सारणी में परिवर्तन किया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।
4. काउन्सिलिंग हेतु कोई भी सूचना / जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.hnbumu.ac.in पर ही अपलोड की जायेगी। अतः काउन्सिलिंग की अद्यतन सूचना / जानकारी प्राप्त करने हेतु समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

नोटिस प्रकाशन तिथिः– 07.09.2026

सदस्य सचिव
नीट यू0जी0 2026
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग

H.N.B. UTTARAKHAND MEDICAL EDUCATION UNIVERSITY, DEHRADUN
Learn to Serve